माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी।

पीठासीन अधिकारी – श्री पुखराज कांसोटिया

राजस्व मूल प्रार्थनापत्र संख्या 111/2012

प्रार्थी–

लाबूराम पुत्र स्व रतनाराम जाति पटेल, निवासी गांव सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण –

01 रामाराम पुत्र सिमरथाराम जाति पटेल निवासी सरेचा तहसील लूणी

02 मेहराराम पुत्र रूपाराम सभी जातियान पटेल निवासी ग्राम सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

03 झमकी पत्नि बाबूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

04 रूपाराम पुत्र गोकलराम के कायम मुकाम

04(1) श्रीमती केली पत्नी रुपाराम

04(2) ओमप्रकाष पुत्र रुपाराम

04(3) कालूराम पुत्र रुपाराम

04(4) पप्पाराम पुत्र रुपाराम

04(5) श्रवणराम पुत्र रुपाराम

04(6) गुड्डी पुत्री रुपाराम

04(7) प्रेमाराम पुत्र रुपाराम

04(8) धापू पुत्री रुपाराम

04(9) नारायणी पुत्री रुपाराम

04(10) मुतरा पुत्री रुपाराम

04(11) लीला पुत्री रुपाराम

04(12) सुका पुत्री रुपाराम

04(13) साउ पुत्री रुपाराम जातियां पटेल निवासीगण सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर

05 डूँगराराम पुत्र गोकलराम जाति पटेल निवासी सरेचा तहसील लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

06 अणसी पत्नि बस्तीराम के कायम मुकाम

06(1) झीमा पुत्री बस्तीराम जाति पटेल निवासी सरेचा तहसील लूणी

07 भल्लाराम पुत्र बस्तीराम सभी जातियान पटेल निवासी ग्राम सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

08 तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वास्ते मार्ग घोषित करने

उपस्थित

1– प्रार्थी की ओर से ईश्वरसिंह

2– अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री धनपत चौधरी एडवोकेट

3– राज पेरोकार नायब तहसीलदार लूणी जरिये राज्य सरकार

निर्णय

दिनांक– 18/06/2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम खातेदारी का खेत खसरा नंबर 744 व 745 वाके मौजा ग्राम सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है उक्त दोनों खसरान का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है खसरा संख्या 744 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा संख्या 745 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा है। उक्त दोनों खसरान की भूमि को प्रार्थी काश्त के लिए उपयोग उपभोग करता है होने वाली उपज से अपना जीवन यापन कर रहा है। तथा अपने खातेदारी खेत तक काश्त कार्य करने के लिए खसरा नंबर 732 व 756 की माठ से तथा खसरा संख्या 733 की पश्चिमी दिशा मे स्थित माठ तथा खसरा संख्या 756 की पूर्व दिशा की माठ अर्थात् खसरा संख्या 733 व 756 के मध्य स्थित माठ को पगडंडी के रूप मे उपयोग ले रहा है प्रार्थी अपने खेत तक जाने हेतू उपरोक्त खसरा संख्या 732 व 733 की माठ का कदीमी से उपयोग ले रहा है लेकिन की जुताई खडाई व ढुलाई के लिए ट्रेक्टर लेकर आ जा नहीं सकते है क्योकि मौके पर उक्त पगडंडी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अप्रार्थीगण लोग बरसात होने तथा फसल बोने के बाद इस पगडंडी को भी रोक देते है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड मे कटाण नहीं होने तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज होने के कारण उन खातेदारो पर निर्भर रहना पडता है पहले उक्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कदीमी मार्ग अप्रार्थीगण की सहमति से उपयोग व उपभोग मे ले रहा था लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 6 एवम् अन्य जातियान् पटेल स्वयम् पंचो के खिलाफ प्रार्थी द्वारा अपने परिवार को प्रताड़ित कर असामाजिक प्रताडनीय व्यवहार एवम् समाज से बहिष्कृत करने के निर्णय के विरूद्ध दिनांक 28.07.2012 को परिवाद प्रस्तुत करने के कारण उक्त कदीमी रास्ता बन्द कर दिया गया एवम् पाड़ौसी खसरान संख्या 732, 733, व 756 के खाता धारको भी उकसा रहे है जिससे प्रार्थी अपने खेत तक ट्रेक्टर गाडा आदि लेकर न जा सके इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थी के खेत तक अर्थात खसरा संख्या 744 व 745 मे प्रवेश हेतू निकटतम मूल रास्ता खेत खसरा संख्या 732, 733 व 756 के अन्दर होकर जाता है। प्रार्थी इन्ही खसरा संख्या 732, 733 व 756 के मध्य स्थित माठ से ही रास्ता होने पर अपने खेत तक आ जा सकता है तथा अपने खेत की खड़ाई जुताई करने हेतू ट्रेक्टर इत्यादि वाहन के प्रवेश हेतू कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है यही एक मात्र निकटतम एवम् न्यूनतम रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतू काम मे ले रहा है। प्रार्थी को अपने खेत खसरा की खड़ाई जुताई करने हेतू एवम् खेत तक जाने के लिए उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है जिसको प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शे मे लाल लाईन से दर्शाया गया हैं जो कि अधिकतम 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड मे घोषित करवाना चाहता है के कथनो के साथ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होने पर नोटिस तामिल सुदा लोटे तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व 5 से 8 तक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जबाब हेतू समय मांगा गया जो दिया गया एवम् राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी को विवादित खसरे की रास्ता से सम्बन्धित मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश जारी किया गया, अप्रार्थीगण को कई बार अवसर देने के बाबजूद प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बन्द किया गया। तहसीलदार लूणी द्वारा विवादग्रस्त खसरान की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की एवम् अप्रार्थीगण 5 व 7 का देहान्त होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सी पी सी मय धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थनापत्र न्याय हित में अन्दर म्याद घोषित कर स्वीकार किया जाता है कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिया गया।

प्रकरण मे तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गहन अवलोकन करने एवम् वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के वर्णित कथनो का हवाला देते हुए बहस सुनी गई।

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी))

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

वकील प्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित खेत खसरा संख्या 744 व 745 खातेदारी काश्तकारी की भूमि तथा प्रार्थी उसका खातेदार है उक्त खसरान की भूमि पर प्रार्थी खेती बाडी का कार्य करता है तथा अपने खातेदारी के खेत तक आने जाने व ट्रेक्टर आदि वाहन खेत की खड़ाई जुताई तथा ढुलाई करने के लिए ले जाना पडता है जो प्रार्थी खेत खसरा संख्या 732, 733 व 756 की माठ को मार्ग के रूप मे कदीमी समय से कदीमी रास्ते के रूप मे उपयोग उपभोग लेता आ रहा है लेकिन यह मार्ग व राजस्व रिकोर्ड मे कटाण नहीं होने से अप्रार्थीगण आने जाने व खेत पर ट्रेक्टर ले जाने से मना करने पर उक्त खेत तक जाने के लिए अन्य कोई प्रार्थी के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है सबसे निकटतम दूरी पर यही खसरा नंबर 732, 733 व 756 मे से होकर रास्ता चल रहा है उसी कदीमी रास्ते को चाहा गया है जिसे 30 फीट चौडाई माठ के दोनो तरफ 15–15 फीट कटाण किया जाना अति आवश्यक एंव प्रार्थी के हित मे है तथा प्रार्थी उक्त रास्ते के उपभोग मे आने वाली भूमि की कीमत नियमानुसार भुगतान करने को तैयार है प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है अतः तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द (रिपोर्ट) मय नजरी नक्शा अनुसार कटाण किया जाकर रास्ते के रूप मे तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावे का कथन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहे तथा राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार लूणी उपस्थित होकर तथा कथन किया कि मौका फर्द अनुसार ही रास्ता कटाण किया जावे।

हमने/हाजा अदालत द्वारा वकील प्रार्थी की बहस एवम् प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनो एवम् तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 744 व 745 मे प्रवेश हेतू एवम् खेत की खडाई जुताई हेतू ट्रेक्टर आदि वाहन के द्वारा खेत खसरा संख्या 732, 733 व 756 के मध्य स्थित माठ पर 30 फीट चौडा रास्ता घोषित किया जाना के कथनो मे वजन होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र वर्णित कथनो अनुसार एवम् तहसीलदार लूणी की मौका फर्द अनुसार प्रार्थी को खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतू रास्ते की आवश्यकता है यह केवल सुविधा के लिए नहीं है दूसरा प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है प्रार्थी के खेत खेड़ा सरेचा के खसरा नंबर 744 व 745 मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 732, 733 व 756 की मध्य माठ के दोनो तरफ रास्ता है जो कि खसरा नंबर 732, 733 की पश्चिमी मेड व खसरा नम्बर 756 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे दोनों तरफ दिया जाना उचित है। उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करने के योग्य होने से स्वीकार किया जाकर

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि खेत खसरा संख्या 744 व 745 मे आने जाने व काश्त कार्य करने हेतू प्रार्थी को ग्राम खेड़ा सरेंचा के खसरा संख्या 732 में ए से बी पश्चिमी मेड पर 15 फीट चौडा एवम् 72 फीट लम्बा, खसरा संख्या 733 में बी से सी 15 फीट चौडा एवम् 630 फीट लम्बा तथा खसरा संख्या 756 की पूर्वी मेड पर ई से एफ 15 फीट चौडा एवम् 72 फीट लम्बा, डी से ई 15 फीट चौडा एवम् 630 फीट लम्बा रास्ता कटाण किया जाने का आदेश दिया जाता है जो की भू.अ.निरीक्षक की मौका फर्द दिनांक 27.02.2024 में नजरी नक्शानुसार मार्क भाग **एबीसीडीईएफ** कुल **क्षैत्रफल 21060 वर्ग फीट** उक्त रास्ते का क्षेत्रफल बनता है जिसकी डीएलसी दर से नियमों के तहत दुगुना मुआवजा तहसीलदार लूणी गणना कर प्रार्थी को उपलब्ध करावे तथा उक्त राशि प्रार्थी तहसीलदार लूणी के समक्ष चैक अथवा डी.डी. अप्रार्थीगणों के हिस्सों अनुसार बना कर पेश करें उक्त राशि के चैक अथवा डी.डी. तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार लूणी राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ते का अमल दरामद करें तथा मौके पर जाकर उक्त रास्ता खुलवाया जावे मौका फर्द दिनांक 27.02.2024 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेगी। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते दाखिल दफतर हो।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी लूणी, जोधपुर